<u>न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश पांढुर्णा, जिला–छिंदवाडा(म.प्र.)</u>
<u>(समक्षः–आमोद आर्य)</u>

दांडिक अपील क्रमांक–01/23
फाईलिंग नंबर–993/2022
संस्थापन दिनाँक–27–12–2022
पंजीयन दिनाँक–03–01–2023
सी.एन.आर.क्रं.–एमपी28090013092022

1–महादेव पिता रामदीन परिहार, उम्र करीब 31 वर्ष,
2–रामदीन पिता कारू परिहार, उम्र करीब 53 वर्ष,
दोनों निवासी–ग्राम सिराठा, तहसील व थाना पांढुर्णा,
जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

......................**अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण**

:::विरूद्ध:::

मध्यप्रदेश शासन द्वारा
जिला दण्डाधिकारी
जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

..................**प्रत्यर्थी/राज्य**

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पांढुर्णा, जिला छिंदवाड़ा (श्री नीरज कुमार प्रजापति) के न्यायालय के दांडिक प्रकरण क्रमांक (R.C.T. No. 131/2019, Filing No. RCT/448/2019, CNR No. MP2809-000543-2019 & Filing Date 02-07-2019) ''मध्यप्रदेश राज्य विरूद्ध महादेव वगैरह'' पुलिस थाना पांढुर्णा, तहसील पांढुर्णा जिला छिंदवाड़ा के अपराध क्रं0–235/2019 अंतर्गत भा0दं0स0 1860 की धारा–294, 323, 325, 34 एवं धारा–506 (भाग–दो) से उद्भूत नियमित दांडिक अपील।

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा– श्री जे.एल.पद्माकर अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी/राज्य द्वारा– श्री प्रकाश बावने अपर लोक अभियोजक।

:: निर्णय ::
(आज दिनाँक 27—06—2024 को घोषित)

1. यह नियमित दांडिक अपील, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण (**अत्र पश्चात् ''अभियुक्तगण'' के रूप में निर्दिष्ट**) की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा—374 के अन्तर्गत विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पांढुर्णा, जिला छिंदवाड़ा (श्री नीरज कुमार प्रजापति) के न्यायालय के दांडिक प्रकरण कमांक 131/2019 में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2022 (**अत्र पश्चात् ''आलोच्य निर्णय और दण्डादेश'' के रूप में निर्दिष्ट**) से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (**अत्र पश्चात् ''संहिता, 1860'' के रूप में निर्दिष्ट**) की धारा—325/34 में छह—छह माह के सश्रम कारावास एवं एक—एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में दस—दस दिवस के साधारण कारावास से **तथा** धारा—323/34 भा0दं0सं0 में एक—एक माह के सश्रम कारावास एवं पॉच—पॉच सौ रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में पॉच—पॉच दिवस के साधारण कारावास से दंडित किया गया है।

2. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम सिराठा में रहती है तथा खेती का काम करती है। दिनांक 20.06.2019 को 11:00 बजे वह और उसका पति मदन खेत में गोभी के रोपा को पानी दे रहे थे, तभी रामदीन परिहार एवं उसका लड़का महादेव परिहार आए और खेत की मेड़ से पत्थर हटाने की बात पर से उसे और उसके पति मदन को मां—बहन की गंदी—गंदी गालियां देने लगे तथा महादेव परिहार उसके हाथ में रखी लोहे की राड से उसके पति मदन को मारने लगा। वह बीच—बचाव करने गई तो रामदीन ने उसे धक्का मारकर गिरा दिया, जिससे

उसके दोनों पैर की पिंडली के सामने वाली हड्डी में चोट आई और उसके पति मदन को भी दोनों पैर, दाहिने कंधे एवं दाहिने हाथ की उगंली में चोट आई। घटनास्थल पर विनोद गिरारे आया और उसके आवाज लगाते ही महादेव और रामदीन ने मारपीट करना बंद कर दिया और कहने लगे कि दोबारा मेड़ का पत्थर सरकाया तो उनके परिवार के लोगों को जान से खत्म कर देंगे। रास्ते से आने–जाने वालों ने झगड़ा देखकर 100 नंबर गाड़ी को फोन लगाया, थोड़ी देर में 100 नंबर गाड़ी आयी जिसमें बैठकर फरियादी और उसके पति मदन को अस्पताल ले जाया गया।

फरियादी की रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र पांढुर्णा के अपराध क्रमांक 235/2019 अंतर्गत संहिता, 1860 की धारा–294, 323, 34 व धारा–506 (भाग दो) का अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान में मौका नक्शा प्र0पी0–2, जप्ती पंचनामा प्र0पी0–7 कार्यवाही की गई एवं आहतगण का चिकित्सक परीक्षण कराया जाकर प्र0पी0–3 एवं प्र0पी0–5 की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्राप्त की गई तदोपरांत मामले में धारा–325/34 भा0दं0सं0 का इजाफा किया गया। अनुसंधान कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को संहिता, 1860 की धारा–294, 325/34, 323/34 एवं धारा–506(भाग–2) के अंतर्गत अभियोजित कर उनका विचारण किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–313 के परीक्षण में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने स्वयं का निर्दोष होना एवं उन्हें झूठा फसाया जाना व्यक्त किया।

4. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में साक्षी मुन्नीबाई(अ0सा0–1), मदन(अ0सा0–2), विनोदी(अ0सा0–3), दिनेश (अ0सा0–4), रूपचंद(अ0सा0–5), डॉ.जितेश गुन्नाड़े(अ0सा0–6) एवं साक्षी शरद चौहान (अ0सा0–7) का परीक्षण करवाया गया। अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। विचारण न्यायालय ने साक्ष्योपरांत प्रश्नगत आलोच्य निर्णय के द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को निर्णय की कंडिका–1 के अनुसार दंडित किया है।

5. विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं दण्डादेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से हस्तगत अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा दिए गए पुलिस कथन एवं प्रथम सूचना पत्र तथा साक्षी मुन्नीबाई, मदन एवं विनोद के कथनों में आए विरोधाभाष पर सही विश्लेषण न कर विधि एवं तथ्यों की गंभीर भूल की है। चिकित्सकीय साक्ष्य व चोटों में भारी विरोधाभाष का भी उचित विश्लेषण नहीं किया गया है। फलतः विचारण न्यायालय का निर्णय और दण्डादेश अपास्त कर अपीलार्थीगण को बरी किए जाने का निवेदन किया है।

6. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मामले के स्वतंत्र साक्षीगण द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का समुचित विवेचन न कर निर्णय एवं दण्डादेश पारित करने में विधि एवं तथ्य की गंभीर भूल की है। फलतः अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया है।

7. प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अंतिम तर्क के दौरान व्यक्त किया कि विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा साक्ष्य की विवेचना

उपरांत समुचित निर्णय पारित किया गया है जो पुष्ट किए जाने योग्य है, जिसमें हस्ताक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः प्रस्तुत अपील निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

8. अपील के निराकरण हेतु मेरे समक्ष निम्न विचारणीय बिंदु है :–

''क्या विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 20.12.2022 विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से हस्तक्षेप योग्य है ?''

:: निष्कर्ष के आधार ::

9. फरियादी/आहत मुन्नीबाई(अ0सा0–1) की अभिसाक्ष्य है कि वह अभियुक्तगण को पहचानती है। घटना उसके न्यायालयीन बयान से लगभग पॉच–छह माह पूर्व की खरीफ की फसल बोनी के पहले की उसके खेत की दिन के लगभग ग्यारह–बारह बजे की है। मुन्नीबाई(अ0सा0–1) का कथन है कि जब वह एवं उसका पति खेत में गोभी रोप रहे थे, तभी अभियुक्तगण आए और मेढ़ से पत्थर फैंकने की बात को लेकर अभियुक्त महादेव उसके पति को गाली देने लगा और फिर लोहे की रॉड से मारने लगा जिससे उसके पति का दांया पैर दो जगह से टूट गया था।

10. मुन्नीबाई(अ0सा0–1) ने कथन किया कि जब वह दौड़कर उसके पति को बचाने गई तो अभियुक्त महादेव ने लोहे की रॉड से उसके दोनों पैरों में मारा जिससे उसके पैरों में चोट आई थी। अभियुक्त महादेव ने ही उसके और उसके पति के साथ मारपीट की है। अभियुक्त रामदीन मौके पर था, उसने कुछ नहीं किया लेकिन मारूड़ का एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, जिसने उन्हें बचाने के लिए आने का प्रयास किया तो अभियुक्त रामदीन ने उस राहगीर को

रोक दिया और कहा कि बीच में मत आओ यह उनका आपसी मामला है और फिर उस राहगीर ने 100 नंबर डायल कर पुलिस को घटना की सूचना दी थी।

11. फरियादी/आहत मुन्नीबाई(अ0सा0–1) ने घटना की रिपोर्ट प्र0पी0–1 अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना पांढुर्णा में पंजीबद्ध कराए जाने का कथन किया है और यह भी कथन किया है कि पुलिस ने घटनास्थल पर आकर मौका नक्शा प्र0पी0–2 बनाया था। फरियादी/आहत मुन्नीबाई(अ0सा0–1) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि अभियुक्त रामदीन और उसका पति सगे भाई हैं। इस सुझाव से इंकार किया कि पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में क्या लिखा उसे पढ़कर नहीं सुनाया था। साक्षी मुन्नीबाई(अ0सा0–1) ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि अभियुक्त महादेव ने उनके साथ मारपीट नहीं की।

12. आहत मदन(अ0सा0–2) ने फरियादी मुन्नीबाई के कथनों का समर्थन करते हुए बताया है कि उसने अभियुक्त रामदीन को खेत पर पत्थर फैंकने से रोका तो अभियुक्त रामदीन वापस घर गया और अपने लड़के महादेव जो हाथ में लोहे की सब्बल लिए हुए था, को साथ लेकर खेत पर वापस आया और पत्थर गाड़ने से मना करने पर अभियुक्त महादेव ने रॉड से उसके पैर पर मारा जिससे उसका पैर दो जगह से टूट गया था और वह वहीं गिर गया था।

13. साक्षी मदन(अ0सा0–2) ने कथन किया कि उसकी पत्नी बीच–बचाव करने आई तो महादेव ने उसकी पत्नी को भी मारा था। अभियुक्त रामदीन ने उसकी पत्नी को धकाया था। पैर टूटने के कारण उससे अब काम नहीं हो रहा है। उसका ईलाज पांढुर्णा और छिंदवाड़ा में हुआ था। साक्षी मदन(अ0सा0–2) ने प्रतिपरीक्षण के दौरान इस सुझाव से इंकार किया कि उसने प्र0डी0–1 में कौन सा पैर टूटा था, नहीं बताया था, साक्षी ने स्वतः कहा कि दांया पैर टूटा था,

किंतु साक्षी ने न्यायालय में अपने हाथ से बांये पैर को टूटने बताया है। साक्षी मदन(अ0सा0–2) ने यह स्वीकार किया कि अभियुक्त रामदीन उसका भाई और अभियुक्त महादेव उसका भतीजा है।

14. साक्षी विनोदी (अ0सा0–3) ने अभियुक्तगण एवं फरियादी की पहचान स्थापित करते हुए अभिसाक्ष्य दिया है कि वह गाड़ी से गांव जा रह था और जब वह घटनास्थल पहुॅचा तो उसने हल्ला सुनाकर रूककर देखा तो रामदीन का लड़का महादेव, मुन्नीबाई को घेर रहा था और मदन खेत में गिरा हुआ था जो रो रहा था। मुन्नीबाई उसके पास आई थी और उससे गाड़ी से घर ले जाने के लिए बोल रही थी फिर महादेव भी वहॉ आ गया जो मुन्नीबाई को उसके पास नहीं आने दे रहा था। साक्षी विनोदी (अ0सा0–3) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने मौके पर आहतगण एवं अभियुक्तगण को देखा था और यह भी स्वीकार किया है कि जब वह मौके पर आया तब मदन का पैर टूटा हुआ था।

15. साक्षी दिनेश (अ0सा0–4) जो आहतगण का पुत्र है, की अभिसाक्ष्य है कि उसे आने–जाने वालों ने खेत में उसके माता–पिता के साथ झगड़े होने की बात बताई थी फिर वह खेत गया था जहॉ उसके मम्मी–पापा ने उसे बताया था कि अभियुक्त महादेव ने लोहे की रॉड से उसके मम्मी–पापा को मारा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी दिनेश (अ0सा0–4) ने यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय मौके पर नहीं था।

16. साक्षी रूपचंद (अ0सा0–5) की अभिसाक्ष्य है कि घटना दिनांक 20–06–19 की रामदीन के खेत की है। उसे दिनेश ने उसके मम्मी–पापा के साथ मारपीट होने की सूचना दी थी। सूचना पर वह शासकीय अस्पताल पांढुर्णा

में आहतगण को देखने आया था जहॉ उसने आहतगण की चोटें देखी थीं। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं था।

17. चिकित्सक साक्षी डॉ. जितेश गुन्नाड़े (अ0सा0–6) की अभिसाक्ष्य है कि वह दिनांक 20.06.19 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पांढुर्णा में आपातकालीन चिकित्साधिकारी के पद पर पदस्थ था। आहत मदन परिहार का परीक्षण करने पर आहत की बायीं जांघ पर चार गुणा चार से.मी. की सूजन थी, जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी गई थी और एक्सरे परीक्षण पर आहत मदन के बायें फीमर हड्डी पर अस्थिभंग होना पाया गया था तथा आहत के दायें हाथ की मध्य उंगली पर एक कटा–फटा घाव था, जिससे रक्त स्त्राव हो रहा था।

18. चिकित्सक साक्षी डॉ. जितेश गुन्नाड़े (अ0सा0–6) की यह भी अभिसाक्ष्य है कि उक्त दिनांक को ही आहत मुन्नीबाई का परीक्षण करने पर आहत के बायें पैर के सामने की ओर तीन गुणा तीन से.मी. आकार का कटा–फटा घाव पाया था तथा दायें पैर पर एक गुणा एक से.मी. का कटा–फटा घाव परीक्षण में था, जिनसे रक्त स्त्राव हो रहा था। चिकित्सक साक्षी के अभिमतानुसार आहतगण को कारित चोटें साधारण प्रकृति की होकर कठोर एवं बोथरी वस्तु से परीक्षण से तीन घंटे के भीतर आना प्रतीत हो रही थी। इस संबंध में साक्षी ने चिकित्सकीय रिपोर्ट क्रमशः प्र0पी0–3 एवं प्र0पी0–5 तथा एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी0–4 को प्रमाणित किया है। चिकित्सक साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि यदि कोई व्यक्ति नुकीले पत्थर पर गिर जाता है तो आहत मदन को कारित चोटें जैसी चोटें आना संभव हैं और यह भी स्वीकार

किया है कि यदि कोई व्यक्ति सख्त एवं बोथरी वस्तु पर गिर जाता है तो आहत मुन्नी को आई चोटें जैसी चोटें आना संभव है।

19. साक्षी शरद चौहान (अ0सा0–7) ने अनुसंधान कार्यवाही का समर्थन करते हुए अभिसाक्ष्य दी है कि वह दिनांक 27.06.2019 को थाना पांढुर्णा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। अनुसंधान में मौका नक्शा प्र0पी0–2, जप्ती पंचनामा प्र0पी0–7 की कार्यवाही किए जाने का कथन किया है। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि आहत मदन को अस्थिभंग होने से उसके द्वारा मामले में धारा–325 भा0दं0सं0 का इजाफा किया गया था। प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने प्र0पी0–7 के जप्ती पंचनामा में वर्णित सम्पत्ति की माप नहीं की थी।

20. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लेख की गई है। तर्क के आलोक में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0–1 के अवलोकन यह दर्शित है कि घटना दिनांक 20.06.2019 की समय 11:30 बजे की है और फरियादी/आहत मुन्नीबाई द्वारा घटना दिनांक को ही समय 17:30 बजे अपीलार्थीगण के विरूद्ध नामजद रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई गई है। घटनास्थल से थाना की दूरी करीब 17 किलोमीटर होना उल्लेखित है। घटना ग्रामीण परिवेश की है जहॉ आवागमन के सीमित संसाधन होते हैं, उक्त परिप्रेक्ष्य में प्र0पी0–1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अविलम्ब होना दर्शित है, उक्त आलोक में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है।

21. अपीलार्थीगण द्वारा अपील में यह आधार लिया गया है कि प्रकरण में घटना के स्वतंत्र साक्षी विनोदी (अ0सा0–3) एवं रूपचंद (अ0सा0–5) ने घटना

का समर्थन नहीं किया है तथा साक्षी दिनेश (अ0सा0—4) अनुश्रुत श्रेणी का साक्षी है जिसके कथनों की पुष्टि स्वतंत्र साक्ष्य से नहीं हुई है, इसलिए अभियुक्त दोषमुक्ति का पात्र है। तर्क के आलोक में अभिलेख पर आई साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

22. साक्षी विनोदी (अ0सा0—3) को भले ही अभियोजन की ओर से पक्ष द्रोही घोषित किया गया है, किंतु मात्र पक्षद्रोही कर दिए जाने से इस साक्षी की संपूर्ण साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **तूफान सिंह विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी., 2005 (4) एम.पी.एल.जे. 412** में यह प्रतिपादित किया गया है कि पक्ष विरोधी साक्षी की साक्ष्य को पूरी तरह डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता, यदि उसकी साक्ष्य का कुछ भाग अभियोजन के मामले का समर्थन करता है और वह भाग सही पाया जाता है तो उस पर विश्वास किया जा सकता हैं।

23. उक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में यदि साक्षी विनोदी (अ0सा0—3) की साक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन किया जाए तो साक्षी ने स्पष्ट रूप से घटनास्थल पर पहुॅचकर आहत मदन को घायल अवस्था में रोते पड़े हुए देखा और आहत मुन्नीबाई के पास आने पर उसके पैर से खून निकलते देखा जाना बताया है। यद्यपि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में घटना देखने से स्पष्ट इंकार किया है, किंतु यह साक्षी घटना स्थल पर घटना के तत्काल पश्चात् पहुॅचा है और आहतगण को घायल अवस्था में देखा है। अतः इस साक्षी की साक्ष्य का यह भाग कि ''वह घटना स्थल पर पहुॅचा तो आहत मदन पड़ा हुआ था और आहत मुन्नीबाई के पैर में चोट थी'' साक्ष्य में ग्राह्य किए जाने योग्य है और विश्वसनीय है।

24. साक्षी दिनेश (अ0सा0–4) के बयान से यह प्रकट है कि वह घटना के समय मौके पर नहीं था, परन्तु उसके बयान से यह दर्शित है कि घटना की जानकारी उसे स्वयं आहतगण अर्थात् उसके माता–पिता द्वारा दी गई है, उक्त परिप्रेक्ष्य में साक्षी दिनेश (अ0सा0–4) के बयान से भी अभियोजन मामले का समर्थन है। मात्र चक्षदुर्शी साक्षी न होने के आधार पर उक्त साक्षी की साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

25. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आहत मदन ने न्यायालय में दाहिने पैर टूटने का कथन किया है जबकि चिकित्सक ने बांये पैर की फीमर अस्थि में भंग होने का अभिमत दिया गया है इसलिए आहत की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित न होने के कारण उसे अस्थिभंग कारित होना प्रमाणित नहीं होता है। तर्क के आलोक में आहत मदन की साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो साक्षी के बयान में प्रतिपरीक्षण के प्रक्रम पर अंकित नोट से यह स्पष्ट है कि आहत का बांया पैर टूटा था, न कि दांया पैर। चिकित्सक साक्षी ने भी आहत मदन के बांये फीमर हड्डी में अस्थिभंग होना प्रमाणित किया है। अतः आहत मदन एवं चिकित्सक साक्षी द्वारा दी गई मेडिकल रिपोर्ट प्र0पी0–3 व एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी0–4 में किसी प्रकार की भिन्नता होना प्रकट नहीं होता है, उक्त परिप्रेक्ष्य में विद्वान अधिवक्ता का तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है।

26. अब यदि सारवान साक्ष्य के संबंध में विचार किया जाए तो आहत साक्षी मुन्नीबाई(अ0सा0–1) एवं मदन(अ0सा0–2) द्वारा अभियोजन मामले के अनुसार अभिसाक्ष्य दी है कि अभियुक्त महादेव ने उनके साथ लोहे की रॉड से मारपीट की थी जिसके कारण आहत मुन्नीबाई को दांये एवं बांये पैर में

कटा–फटा घाव था तथा आहत मदन के बांये पैर की फीमर हड्डी में अस्थिभंग कारित हुआ था। आहतगण के कथनों का समर्थन घटना के तत्काल पश्चात् मौके पर पहुॅचे विनोदी (अ0सा0–3) के कथनों से भी होता है।

27. उक्त संबंध में बचाव पक्ष की प्रतिरक्षा पर विचार किया जाए तो जहॉ तक प्रश्न साक्षीगण के कथनों में आए विरोधाभाष एवं लोप का है तो बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य अधिनियम की धारा–145 के तहत् निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसा कोई भी विरोधाभाष प्रमाणित नहीं कराया है और न ही साक्षीगण का ध्यान उनके पूर्व लेखबद्ध कथनों की ओर दिलाया गया है। इसके अतिरिक्त मामले के मुख्य साक्षी आहत मुन्नीबाई एवं आहत मदन प्रतिपरीक्षण के दौरान इस बिन्दु पर स्थिर रहे हैं कि घटना के समय अभियुक्त महादेव द्वारा उनके साथ मारपीट की गई थी एवं अभियुक्त रामदीन द्वारा महादेव का साथ दिया गया था।

28. संपूर्ण विवेचना के पश्चात् सारवान साक्षी की साक्ष्य इस बिन्दु पर स्वाभाविक और विश्वसनीय रूप से अभिलेख पर आई है कि घटना दिनांक को अभियुक्त महादेव द्वारा आहत मुन्नीबाई एवं आहत मदन के साथ लोहे की रॉड से मारपीट कर आहत मुन्नीबाई को साधारण एवं आहत मदन को घोर उपहति कारित की गई थी। आहत मदन की मेडिकल रिपोर्ट प्र0पी0–3 एवं एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी0–4 एवं मेडिकल रिपोर्ट प्र0पी0–5 से भी इस तथ्य का समर्थन है कि परीक्षण के समय आहत मदन के बांये पैर की फीमर हड्डी में अस्थिभंग था और आहत मुन्नीबाई को साधारण उपहति थी। मामले का समर्थन, घटना के शीघ्र पश्चात् लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0–1 से भी हुआ है।

29. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलार्थी/अभियुक्त रामदीन के संबंध में आहत मुन्नीबाई एवं आहत मदन तथा अन्य किसी भी अभियोजन साक्षीगण ने कोई कथन नहीं किया है। तर्क के आलोक में साक्षीगण के कथनों का सूक्ष्मता से विवेचन किया गया तो साक्षी मुन्नीबाई (अ0सा0–1) एवं मदन (अ0सा0–2) के बयान से यह दर्शित है कि अभियुक्तगण मौके पर आए और पत्थर फैंकने को लेकर विवाद किया। साक्षीगण के बयानों को बचाव पक्ष की ओर से खंडित नहीं किया गया है। उक्त बिन्दु पर उनकी साक्ष्य अखंडनीय है। अभिलेख पर आई साक्ष्य से अभियुक्तगण की मौके पर उपस्थिति प्रमाणित है और यह भी प्रमाणित है कि उनके द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में घटना कारित की गई है, उक्त परिप्रेक्ष्य में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है।

30. अभियोजन साक्षी शरद चौहान(अ0सा0–7) के न्यायालयीन बयान से अभियोजन प्रलेखों का पूर्णतः समर्थन है जो पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किया जाना दर्शित होता है। साक्षी की साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में जप्ती कार्यवाही किए जाने के बिन्दु पर अखंडित रही है। बचाव पक्ष अपनी कोई भी प्रतिरक्षा स्थापित नहीं कर सका है। अभिलेख पर ऐसा कोई कारण विद्यमान नहीं है कि अभियोजन साक्षीगण द्वारा अभियुक्तगण को इस मामले में मिथ्या अलिप्त किए जाने हेतु असत्य कथन किया है।

31. उपरोक्त स्थिति में यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है कि घटना के समय आहत मुन्नीबाई एवं आहत मदन को अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में लोहे की रॉड से मारपीट कर साधारण एवं घोर उपहति कारित की, जो संहिता 1860 की धारा–320 के प्रावधानों के अंतर्गत घोर उपहति की

श्रेणी में आने वाली चोट थी। अभियुक्तगण की ओर से ऐसा कोई बचाव नहीं लिया गया है कि वे प्रज्ञावान व्यक्ति नहीं हैं अथवा शीघ्र प्रकोपन के कारण उक्त घटना कारित की थी। अतः अभियुक्तगण का उक्त कृत्य संहिता 1860 की धारा 322 में परिभाषित स्वेच्छया घोर उपहति की श्रेणी के अंतर्गत होना माना जायेगा।

32. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को आहत मुन्नीबाई के अपराध के लिए धारा–323/34 एवं आहत मदन के अपराध के लिए धारा–325/34 भा0दं0वि0 के अपराध में दोषसिद्ध किए जाने का जो निष्कर्ष निकाला है वह अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य की समुचित विवेचना पर आधारित है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को की गई दोषसिद्धि में किसी प्रकार के हस्ताक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं है। फलतः विचारण न्यायालय द्वारा की गई **दोषसिद्धि की पुष्टि** की जाती है।

33. बचाव पक्ष की ओर से तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थीगण वर्ष 2019 से विचारण का सामना कर रहे हैं। उभयपक्ष एक ही परिवार के सदस्य है और अपीलार्थीगण का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आकस्मिक झगड़े के कारण आहत मदन एवं आहत मुन्नीबाई को उपहति कारित हुई हैं। अतः अपीलार्थीगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जावे। आहत को कारित चोट की प्रकृति, प्रकरण के समग्र तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थीगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

34. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायादृष्टांत **Gulab Singh v. Yuvraj Singh 1995 Supp (4) SCC 623**, के मामले में यह अवधारित किया

गया है कि लंबे समय तक अभियुक्त के विरूद्ध विचारण लंबित रहने के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा–325 के अंतर्गत कारावास के दंडादेश से अभिमुक्ति दी जा सकती है, इस न्यायदृष्टांत का सुसंगत अंश निम्नानुसार है :–

"Keeping in view the long time that has elapsed and the established facts and circumstances of the case including the manner in which the occurrence took place, we are not inclined to impose any sentence of imprisonment on the 19 accused persons for the offences under Sections 325/149 other than the sentence already undergone by them as now we would not like to send them back to jail, keeping in view the modern theory of penology to reform an accused and accept him as a member of the society, but at the same time we are of the opinion that the interest of justice would be met if in addition to the sentence of imprisonment already undergone by each one of them, the 19 accused are also sentenced to pay compensation under Section 357(3) of the Code of Criminal Procedure to the complainant party. We, therefore, direct that for the offences under Sections 325/149 IPC, in addition to the sentence already undergone by them, each of the 19 accused shall pay, by way of compensation, a sum of Rs 2000 each. The total amount of compensation shall be deposited in the Court of the learned Sessions Judge".

35. माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा इसी सिद्धांत का अनुसरण **न्यायदृष्टांत बापूलाल एवं अन्य विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 2010 (1)एम.पी. डब्लू.एन.,नोट नं.51 पेज 145** एवं **Raghuraj Singh v. State of M.P., 2006 SCC OnLine MP 134 : (2006) 2 MP LJ 425 : 2006 Cri LR (MP) 388** में भी किया गया है। माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा

Dayaram Jagannath Vs. State of Madhya Pradesh, 1992 SCC OnLine MP 5 : 1992 MP LJ 784 के न्यायदृष्टांत में नियम एवं आदेश (आपराधिक) के नियम 276 को विचार में लेने के पश्चात् यह अवधारित किया गया है कि दोषी को दंडादेश देते समय इस संबंध में भी विचार किया जाना चाहिए कि आकस्मिक रूप से किए गए अपराध में छोटी अवधि के लिये अभियुक्त को निरोध में भेजा जाना उपयुक्त नहीं है क्योंकि इससे यह संभावना उत्पन्न होती है कि आकस्मिक अपराधी अभ्यस्त अपराधी बन जावेगा।

36. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि आहत मुन्नीबाई एवं आहत मदन और अपीलार्थीगण आपस में सगे भाई, भतीजे होकर परिवारिक सदस्य हैं। चूंकि उभयपक्ष एक ही परिवार के हैं, ऐसी स्थिति में उनके मध्य भविष्य में मधुर संबंध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। कारावास का दण्ड दिए जाने की दशा में उभयपक्ष के मध्य स्थायी रंजिश बनी रहेगी और उनके मध्य समझौता होने की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। अपीलार्थीगण का कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है, वे वर्ष 2019 से निरंतर विचारण का सामना कर रहे हैं, अभिकथित विवाद मेढ़ से पत्थर फैंकने को लेकर हुआ है। मामले के तथ्य, परिस्थितियों के आलोक में अपीलार्थीगण को कारावासीय दंड के स्थान पर न्यायालय उठने तक की सजा एवं वर्धित अर्थदण्ड से दंडित किए जाने पर भी न्याय का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है।

37. फलतः अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अपील **आंशिक रूप से स्वीकार** की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा–323/34 भा.दं.सं. के अपराध में दिए गए एक–एक माह के सश्रम कारावास के दंडादेश को **अपास्त** किया जाकर उसके स्थान पर

न्यायालय उठने तक की सजा एवं पॉच–पॉच सौ रूपये के अर्थदण्ड के स्थान पर **एक–एक हजार रूपये के अर्थदण्ड** से दंडित किया जाता है एवं वर्धित अर्थदण्ड की राशि की अदायगी में व्यतिक्रम करने पर व्यतिक्रम करने वाले अभियुक्त को एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे। अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा–325/34 भा.दं.सं. के अपराध में दिए गए छह–छह माह के सश्रम कारावास के दंडादेश को **अपास्त** किया जाकर उसके स्थान पर **न्यायालय उठने तक की सजा** एवं एक–एक हजार रूपये के अर्थदण्ड के स्थान पर चार–चार हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। वर्धित अर्थदण्ड की राशि की अदायगी में व्यतिक्रम करने पर व्यतिक्रम करने वाले अभियुक्त को दो माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

38. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व में जमा अर्थदण्ड की राशि पन्द्रह–पन्द्रह सौ रूपये वर्धित अर्थदण्ड की राशि में समायोजित की जावे।

39. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्णय दिनांक से 30 दिवस के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर न्यायालय उठने तक की सजा भुगतेंगे तथा वर्धित अर्थदण्ड की राशि तीन हजार पॉच सौ रूपये (प्रत्येक अभियुक्त) जमा करेंगे।

40. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण अपील के लंबनकाल में जमानत और बंधपत्र पर स्वतंत्र रहे हैं, अतः उनके जमानत व बंधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

41. अर्थदंड की कुल राशि दस हजार रूपये जमा होने पर धारा–357(1) दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रतिकर स्वरूप आहत मुन्नी पति मदन परिहार, आयु 50 वर्ष निवासी ग्राम सिराठा, थाना पांढुर्णा, जिला पांढुर्णा (म.प्र.) को **दो हजार रूपये** तथा आहत मदन पिता कारू परिहार, आयु 52 वर्ष निवासी ग्राम

सिराठा, थाना पांढुर्णा, जिला पांढुर्णा (म.प्र.) को **सात हजार रूपये** प्रदान किए जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य हो।

42. विचारण न्यायालय द्वारा जप्तशुदा संपत्ति के निराकरण के संबंध में निर्णय की कंडिका–29 में दिए गए आदेश की पुष्टि की जाती है।

43. निर्णय की एक प्रति धारा 365 दं.प्र.सं. के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

44. निर्णय की प्रति सहित विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जाये।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित व मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही / –
(आमोद आर्य)
अपर सत्र न्यायाधीश, पांढुर्णा
जिला–छिंदवाड़ा

मेरे निर्देशन में टाईप किया।

सही / –
(आमोद आर्य)
अपर सत्र न्यायाधीश, पांढुर्णा
जिला–छिंदवाड़ा